न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 13/2018
अनवान :–

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री जयकुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र यादव (विक्रेता मालिक) मैसर्स मोहन स्वीट सदर बाजार कोलायत जिला बीकानेर। निवासी वार्ड नं. 14 गणेशजी मन्दिर के पास, कोलायत जिला बीकानेर।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी – श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री करणसिंह तंवर अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 29.01.2020

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 28.05.2018 को अप्रार्थी श्री जयकुमार पुत्र सुरेन्द्र यादव (विक्रेता मालिक) मैसर्स– मोहन स्वीट, सदर बाजार, कोलायत, जिला बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान दुकान के काउन्टर में रखी एक स्टील की ट्रे में लगभग 04 किलोग्राम मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त स्टील की ट्रे में रखे 4 किलोग्राम मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) में से दो किलोग्राम मावा पेड़ा(मावे की मिठाई) नमूना संग्रह हेतु क्रय कर उनके द्वारा बताये अनुसार मूलरू 400/– रूपये में खरीद कर नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं प्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त खरीदशुदा मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चारों साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डालकर एवं प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंदे फॉर्मेलिन डालकर, इन चारों नमूना बोतलों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया तथा उस पर कोड़ एवं क्रमांक जे– 1453 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये तथा प्रत्येक लेबल नमूना बोतल पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक बोतल पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षर युक्त एक ही नम्बर की चार पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व क्रमांक जे–1453 गोंद से नियमानुसार चपकाई। नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग को सील चपड़ी कर, फ़र्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर,

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त एक सीलबन्द बोतल को मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 13.06.2018 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री करणसिंह तंवर अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 के अनुसार इस मामले में Quality Characteristics-No.1- Test for added Starch Prescribed standards as per Negative की तुलना में Positive, तथा Quality Characteristics-No.5-B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standards as per rule- 40.0 to 44.0 (For Milk Fat) की तुलना में 54.0 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में कथन किया कि प्रार्थी जयकुमार की कोलायत में एक छोटी सी दुकान है। जिसमें प्रार्थी चाय, दूध व प्रसाद का बहुत ही छोटे स्तर पर दुकान चलाता है। प्रार्थी दुग्ध खरीदकर के प्रसाद बनाने के लिए मावा बनाता है तथा मावा बनाते समय शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखता है। मावा बनाने में सम्पूर्ण सावधानियां बरतने के पश्चात भी दुग्ध में किसी कमी, जलवायु के कारण भी मावे में शुद्धता में कभी कभी कोई कमी रह सकती है। अन्य नमकीन सामग्री बनाते समय धामों की चिकनाई से भी मावे में चिकनाई की मात्रा बढ़ सकती है। प्रार्थी बहुत ही सीमित मात्रा में मावा तथा मावे की मिठाई बनाता है तथा आज तक प्रार्थी दुकान से खरीद की गई मिठाई से कभी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रार्थी हमेशा ही फूड सेफ्टी एण्ड स्टेन्डर्ड एक्ट के प्रावधानों का सदैव पालन करता रहा है तथा भविष्य में भी करता रहेगा। अतः प्रार्थी के खिलाफ सहानुभूतिपूर्वक विचार करके प्रार्थी के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) का सेम्पल लिया गया था, वह मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट क्रमांकः एल.एस./877/एक्ट/2018/975 दिनांक 13.06.2018 संलग्न है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) Quality Characteristics-No.1- Test for added Starch Prescribed standards as per- Negative की तुलना में Positive, तथा Quality Characteristics-No.5- B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standards as per rule- 40.0 to 44.0 (For Milk Fat) की तुलना में 54.0 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26(2)(ii) का उल्लंधन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रू. **30,000/– अखरे तीस हजार रूपये** की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(एस्.च.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर